Uploading
20/8/2026

P-5824645
20/08/2026

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

-: आदेश :-

भोपाल, दिनाक 18/08/2026

क्रमांक:एफGAD/26/0011/2026-GAD-4-01(GAD) ::भारत सरकार द्वारा प्रदेश में प्रारंभ किये गये Mission for Atmanirbharta in Pulses की गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	भारसाधक सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
3	भारसाधक सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	सदस्य
4	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5	भारसाधक सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
6	भारसाधक सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	सदस्य
7	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर	सदस्य
8	कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर	सदस्य
9	संचालक, केन्द्रीय अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग, भोपाल	सदस्य
10	संचालक, केन्द्रीय मृदा विज्ञान संस्थान नवीबाग, भोपाल	सदस्य
11	प्रदेश प्रभारी, नाबार्ड	सदस्य
12	नोडल अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
13	दलहन FPOs/Cooperatives, VCPs के 2 प्रतिनिधि	सदस्य
14	अध्यक्ष द्वारा नामित दलहन, बीज उत्पादन आदि के 2 उद्योग के प्रतिनिधि	सदस्य
15	भारत सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास के प्रतिनिधि	सदस्य
16	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ राज्य मिशन संचालक	सदस्य सचिव

समिति राज्य में मिशन की गतिविधियों की देखरेख और संचालन करेगी। इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि राज्य एजेंसियों, ज़िला निकायों और केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए, मिशन के उद्देश्यों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी परिणामों में परिवर्तित किया जाए।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन राज्य संचालन समिति के दायित्व निम्नानुसार रहेगें:-

1. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन के लिए निर्धारित समग्र नीति दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मिशन कार्यान्वयन की समग्र निगरानी।
2. जिलों/क्लस्टरों की सूची अनुलग्नक-2 में संलग्न है। यद्यपि क्लस्टरों की पहचान और गठन एक बार की प्रक्रिया होगी, एसएससीपी अपनी बैठक में जिलों/क्लस्टरों की स्थिति की समीक्षा करेगा और आवश्यक परिवर्तनों या संशोधनों पर विचार करेगा, जिन्हें एनएससीपी को उनकी समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
3. राज्य को सौंपे गए एपीवाई लक्ष्यों और उसकी निगरानी के आधार पर दलहन की खेती और उत्पादन के लिए राज्य दलहन कार्य योजना को अंतिम रूप देना।
4. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण को वार्षिक राज्य कार्य योजना प्रेषित करने के पूर्व मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संभावित वार्षिक राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देना।

निरंतर.........02

(33)

5. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण को प्रस्तुत नियमित रिपोर्टों के साथ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर नज़र रखकर राज्य स्तर पर मिशन की प्रगति की निगरानी करना।
6. आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाओं आदि के विकास के लिए राज्य-स्तरीय वित्तीय संसाधन आवंटन की देखरेख करना।
7. जिला मिशनों के कामकाज और प्रगति की निगरानी करना और उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देश जारी करना और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करना।
8. मिशन के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और इसे राज्य की कृषि नीतियों और विकास योजनाओं के साथ संरेखित करने के लिए संबंधित विभागों (कृषि, सिंचाई, वित्त, ग्रामीण विकास आदि) के साथ समन्वय करके अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना।
9. राज्य में मिशन के कुशल क्रियान्वयन हेतु प्रासंगिक अन्य मामले।
10. एसएससीपी के अध्यक्ष आवश्यक होने पर अतिरिक्त अधिकारियों/महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
11. एसएससीपी की बैठक वर्ष में दो बार होगी।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Sachindra Rao
Date: 18-08-2026
18:47:21

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ GAD/26/0011/2026-GAD-4-01(GAD) भोपाल, दिनांक 18/08/2026

प्रतिलिपि :-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
2. संयुक्त सचिव, (क्राप्स) भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. सचिव,, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल,
6. उप सचिव (स्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें,
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल,

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग